रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-732/2017/1911/22-2-2017-17(15)/2017

लखनऊ:दिनांक: 30 अगस्त, 2017

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ के सिद्धदोष बन्दी चतुर सिंह (बन्दी संख्या-22153) पुत्र श्री घासीराम उर्फ धनीराम, निवासी-शेखपुर अहीर, थाना-कुठौंद, जिला-जालौन की रिहाई आदेश संख्या-426/2017/2393/22-2-2016-17(15)/2017 दिनांक 13.06.2017 में जेल रिपोर्ट के अनुसार मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-1, जालौन स्थान उरई द्वारा दी गयी सजा की तिथि 14.10.1980 अंकित कर दिया गया है। अत: उक्त आदेश दिनांक 13.06.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए बन्दी की मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी सजा की तिथि 14.10.1980 के स्थान पर बन्दी की सजा की तिथि 11.07.2007 पढा जाय।

2- उक्त आदेश दिनांक 13.06.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-732/2017/1911(1)/22-2-2017 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई।

3-पुलिस अधीक्षक, जालौन।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in